राजस्थान सरकार

भू–प्रबन्ध विभाग एवं जागीर विभाग राजस्थान, जयपुर

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2022–23

केवल कार्यालय उपयोग हेतु

आमुख

राजस्व प्रशासन में भू–प्रबन्ध विभाग एवं भू–प्रबन्ध प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा भू–प्रबन्ध संक्रियाओं के माध्यम से सर्वेक्षण, पुनः सर्वेक्षण एवं तरमीम सर्वेक्षण कर राज्य के भू–अभिलेख एवं राजस्व नक्शों को अद्यतन करने का कार्य किया जाता है। इस कार्य से विभिन्न राजकीय विभागों की भूमि आधारित विभिन्न योजनाओं यथा नहर, सड़क, पुल, रेल्वे लाईन, बांध आदि आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में न केवल महत्वपूर्ण भूमिका रही है अपितु काश्तकारों की भूमि सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण में भी भू–प्रबन्ध विभाग का सहयोग रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त भूमि–सीमांकन सम्बन्धी जटिल प्रकरणों में विभाग द्वारा तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाता है। विभाग के आधुनिकीकरण के क्रम में 4 वर्कस्टेशन की स्थापना की जाकर उन में सम्पूर्ण राज्य के नक्शों की स्कैनिंग तथा स्केल परिवर्तन का कार्य किया गया है। वर्तमान में आधुनिक तकनीक से सर्वेक्षण/अभिलेखन कार्य की जॉच का कार्य विभाग के चारों वर्कस्टेशन पर किया जा रहा है। विभाग के मुख्यालय पर भू–प्रबन्ध प्रशिक्षण संस्थान भी संचालित हैं, जिसमें राजस्थान प्रशासनिक सेवा, तहसीलदार सेवा के अधिकारीगण एवं अमीन/पटवारियों को समय–समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है। राष्ट्रीय भू–अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत नोडल विभाग की भूमिका में इस विभाग द्वारा राज्य के भू–अभिलेख कम्प्यूटराईजेशन, मॉडर्न रिकॉर्ड रूम तथा पंजीयन कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण में समन्वयक का कार्य किया गया।

वर्तमान में राज्य के सभी जिलों में सर्वेक्षण कार्य आधुनिक तकनीक सर्वेक्षण/अभिलेखन हेतु कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं।

मुझे आशा है कि भू–प्रबन्ध विभाग का प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2022–23 समस्त सम्बन्धितों के लिए उपयोगी एवं सार्थक सिद्ध होगा।

(अपर्णा अरोरा)
अति. मुख्य सचिव
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार

भू–प्रबन्ध विभाग

विभाग का संक्षिप्त प्रतिवेदन

प्रस्तावनाः–

भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहां की आबादी का बहुत बड़ा भाग प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित उद्योग–धन्धे रोजगार के महत्वपूर्ण साधन है। औद्योगिकीकरण, शहरीकरण की निरन्तर प्रवृति, भूमि के स्वरूप में परिवर्तन भूमि हस्तान्तरण, पंजीयन, वित्तीय एवं भूमि आधारित योजनाओं की क्रियान्विति के सन्दर्भ में भू–अभिलेखों का निरन्तर, सही आदिनांक होना नितान्त आवश्यक है। कृषकों का भूमि सम्बन्धी रिकार्ड सही तरीके से आदिनांक होना अत्यन्त आवश्यक है। भू–अभिलेखों का आदिनांक करने सम्बन्धी कार्य भू–अभिलेख विभाग द्वारा सम्पादित किया जाता है। विभाग द्वारा सर्वेक्षण, पुनः सर्वेक्षण एवं सम्बन्धित भू–अभिलेख का कार्य समय–समय पर सम्पन्न कराया जाता रहा है। यद्यपि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भू–राजस्व राजकीय आय का कोई महत्वपूर्ण भाग नहीं है, फिर भी भूमि समस्त आर्थिक गतिविधियों का केन्द्र बिन्दु है।

विभाग का संगठनः–

भू–प्रबन्ध विभाग राजस्थान, जयपुर के विभागाध्यक्ष का पद भारतीय प्रशासनिक सेवा का है जिसका पदनाम भू–प्रबन्ध आयुक्त एवं पदेन निदेशक, भूमि एकीकरण, राजस्थान जयपुर के नाम से जाना जाता है। भू–प्रबन्ध संक्रियाओं के अधीन क्षेत्र के लिए भू–प्रबन्ध आयुक्त पदेन निदेशक भू–अभिलेख है। भू–प्रबन्ध आयुक्त के अधीन कार्य के सफल संचालन के लिए एक पद अतिरिक्त भू–प्रबन्ध आयुक्त का है। इसी प्रकार वर्तमान में 11 भू–प्रबन्ध अधिकारी कार्यालय जयपुर, अलवर, भरतपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, टोंक, सीकर एवं कोटा मुख्यालय पर कार्यरत हैं। भू–प्रबन्ध अधिकारियों के पद राजस्थान प्रशासनिक सेवा के हैं। भू–प्रबन्ध अधिकारियों की सहायता हेतु राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 6 एवं राजस्थान तहसीलदार सेवा के 37 सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी के पद स्वीकृत हैं। विभाग में 16 सदर मुन्सरिम, 178 निरीक्षक स्वीकृत हैं, तथा 715 भू–मापकों के पद स्वीकृत थे, किन्तु राजस्व (ग्रुप–6) विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 द्वारा राजस्थान राजस्व (भू–अभिलेख, भू–प्रबन्ध एवं उपनिवेशन विभाग) अधीनस्थ सेवा नियम, 2019 दिनांक 21.11.2019 से लागू किये जाने पर इस विभाग में सृजित भू–मापक एवं निरीक्षक के रिक्त पदों को डाईंग कैडर (Dying Cadre) घोषित किए जाने के फलस्वरुप इस विभाग में पटवारियों के रिक्त पदों के विरूद्ध पटवार भर्ती परीक्षा 2021 से चयनित अभ्यर्थियों में से राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा इस विभाग को आवंटित अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी किये गये हैं, जिनमें से 565 अभ्यर्थियों ने कार्यग्रहण किया है, जिन्हें 6 मास का प्रशिक्षण दिया जा रहा है तथा वेटिंग लिस्ट से विभाग को आवंटित 126 अभ्यार्थियों द्वारा राज्य सरकार के अग्रिम आदेश तक कार्यग्रहण किया जाना शेष है।

भू–प्रबंध विभाग में मुख्यालय स्तर पर वर्कस्टेशन एवं भू–प्रबन्ध प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की हुई है। अतिरिक्त भू–प्रबन्ध आयुक्त, भू–प्रबन्ध प्रशिक्षण संस्थान के पदेन प्रभारी प्राचार्य है। उक्त प्रशिक्षण संस्थान का बजट भी पृथक से आवंटित था, किन्तु दिनांक 01.03.2002 से उक्त वर्कस्टेशन एवं भू–प्रबन्ध प्रशिक्षण संस्थान मुख्य कार्यालय में समायोजित हो जाने से अतिरिक्त भू–प्रबन्ध आयुक्त का पद नाम अतिरिक्त भू–प्रबन्ध आयुक्त एवं पदेन प्रधानाचार्य, भू–प्रबन्ध प्रशिक्षण संस्थान हो गया है। उक्त प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण हेतु एक पद राजस्थान तहसीलदार सेवा के अधिकारी का प्रशिक्षक का स्वीकृत है।

भू–प्रबन्ध कार्यवाहियां :–

राज्य में भू–प्रबन्ध का कार्य तहसील क्षेत्र के ग्राम स्तर पर सम्पन्न कराया जाता है। राज्य में कुल 392 तहसीलों में से कार्य स्थिति निम्नानुसार है :–

भू–प्रबन्ध संक्रियाधीन तहसीलों में कार्य की स्थिति का ब्यौरा
(सूचना संकलन दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2022)

क्र. सं.	नाम भू–प्रबन्ध अधिकारी	जिला	तहसील	कुल ग्राम	क्लोजिंग ग्राम	कार्य की स्थिति
1.	जयपुर	दौसा	लालसोट रामगढ़–पचवारा राहुवास	323	100	100 ग्रामों का रिकार्ड राजस्व एजेंसी को सुपुर्द। 221 ग्रामों को यथास्थिति बन्द करने के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किए हुए है। 2 ग्रामों के बंद के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किए हुए है।
2.	अजमेर	अजमेर	किशनगढ़, अराई, रूपनगढ़	177	–	175 ग्रामों में तरमीम–सर्वेक्षण कार्य पूर्ण हैं। यथा स्थिति बन्द के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किये हुये हैं। 02 ग्राम घनी आबादी के कारण सर्वे से शेष हैं।
3.	भरतपुर	भरतपुर	बैर	162	161	161 ग्रामों का रिकार्ड राजस्व एजेंसी को सुपुर्द। 01 ग्राम बदर के कारण जैरकार
			रूपवास	164	162	162 ग्रामों का रिकार्ड राजस्व एजेंसी को सुपुर्द। 01 ग्राम बदर के कारण जैरकार। 01 ग्राम विभिन्न स्तर पर जैरकार।
4.	बीकानेर	बीकानेर	लुणकरणसर	119	118	1 ग्राम में अभिलेखन कार्य जैरकार एवं 118 ग्रामों का रिकार्ड राजस्व एजेंसी को सुपुर्द।
			बीकानेर	13 (12+1)	5	शेष 8 ग्रामों में कार्य बदरों के कारण जैरकार।
5.	सीकर	नागौर	डीडवाना	198	197	1 ग्राम के बंद के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किये हुए है।
			मकराना	137	–	137 ग्रामों का यथास्थिति मे रिकॉर्ड वापस संबंधित जिला कलक्टर कार्यालय में जमा करवाया गया।
6.	कोटा	बारां	किशनगंज	213	207	6 ग्रामों का कार्य विभिन्न स्तर पर जैरकार।

7.	अलवर	अलवर	मुण्डावर	147	143	2 ग्राम बदर निस्तारण के कारण व तरमीम उपलब्ध न होने के कारण जैरकार। 2 ग्राम विभिन्न स्तर पर जैरकार।
			किशनगढ़बास	115	–	29 ग्रामों की मिसल बन्दोबस्त तैयार। शेष 86 ग्रामों में कार्य विभिन्न स्तर पर जैरकार। यथास्थिति बंद के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किए हुए हैं।
8.	टोंक	सवाई माधोपुर	खण्डार	134	–	85 ग्रामों में सर्वे/तरमीम कार्यवाही पूर्ण व अभिलेखन कार्य विभिन्न स्तर पर जैरकार। 49 ग्रामों में सर्वे/तरमीम व अभिलेखन कार्य शेष।
			मलारनाडूंगर	77	76	1 ग्राम मलारनाडूंगर का अभिलेखन कार्य शेष।
9.	जोधपुर	सिरोही	रेवधर	1	–	मौका एवं रिकार्ड की स्थिति में अंतर होने से मूल रिकार्ड वापस संबंधित जिला कलक्टर कार्यालय में जमा करवाया गया।

वर्कस्टेशनः–

1. सर्वे–रिसर्वे के अन्तर्गत प्रथम चरण में राज्य में 11 जिलों जयपुर, भीलवाड़ा, जोधपुर, चूरू, बाड़मेर, टोंक, हनुमानगढ़, झालावाड़, गंगानगर, राजसमंद, बांसवाड़ा व अजमेर जिले की 4 तहसीलों (नसीराबाद, पुष्कर, पीसांगन, अजमेर) में तथा सर्वे रिसर्वे के अंतर्गत द्वितीय चरण में राज्य के 21 जिलों बीकानेर, जैसलमेर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, उदयपुर, चितौडगढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, जालौर, अलवर, दौसा, सीकर, झुंझुनू, कोटा, बूंदी, बारां, नागौर व अजमेर की 12 तहसीलों (अराँई, केकड़ी, किशनगढ़, टाटगढ, टांटोटी, ब्यावर, विजयनगर, भिनाय, मसूदा, रूपनगढ़, सरवाड़, सावर) का कार्यरत संस्थाओं द्वारा मुख्यालय स्तर पर उपलब्ध कराये जा रहे सॉफ्ट डाटा की जांच का कार्य एवं उक्त डाटा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु समय–समय पर कार्यरत संस्थाओं व संबंधित भू–प्रबन्ध कार्यालयों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान कराने में सहयोग का कार्य किया।
2. डीआईएलआरएमपी योजनान्तर्गत सर्वे रिसर्वे का आवश्यक ऑनलाईन एवं ऑफलाईन प्रशिक्षण भू–प्रबन्ध विभाग व राजस्व कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया।
3. विभिन्न विभागों के मांगपत्रों पर स्केन मैप/डीजीटाईज्ड मैप, जियो रेफरेन्स डिजीटाईज्ड मैप उपलब्ध करवाये जा रहे हैं।
4. जीआईएस लैब के अंतर्गत आवश्यक हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर की उपापन की कार्यवाही करवाई गई है।
5. सर्वे रिसर्वे के अंतर्गत 22 जिलों हेतु विभाग द्वारा क्रय किये जाने वाले सेटैलाइट डेटा की उपापन प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग प्रदान किया।
6. ऑल्ड रिकॉर्ड शाखा को संबंधित नक्शें प्रिंट तैयार कर उपलब्ध करवाये गये।
7. भू–प्रबन्ध कार्यालय जयपुर को सीमाज्ञान से संबंधित सॉफ्ट/हार्ड नक्शें उपलब्ध करवाये गये।

प्रशिक्षणः–

भू–प्रबंध प्रशिक्षण संस्थान, मुख्यालय जयपुर द्वारा डिजिटल इण्डिया लैण्ड रेकॉर्ड मॉर्डनाइजेशन कार्यक्रम योजना अनुसार राज्य में प्रशिक्षण एवं योग्यता अभिवर्द्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत अवधि 01.01. 2022 से 31.12.2022 तक आधुनिक सर्वे यंत्रों ई.टी.एस., डीजीपीएस, जीआईएस एवं डिजिटाइजेशन जांच हेतु प्रशिक्षण दिया गया। उक्त अवधि में 136 नायब तहसीलदार, नवनियुक्त पटवारी, 479 आरजीपी पटवारी को प्रशिक्षण दिया गया है।

क्र. सं.	पद नाम	वर्ष 2013	वर्ष 2014	वर्ष 2015	वर्ष 2016	वर्ष 2017	वर्ष 2018	वर्ष 2019	वर्ष 2020	वर्ष 2021	वर्ष 2022	कुल योग
1.	आई.ए.एस.	–	–	–	8	8	–	23	7			46
2.	आर.ए.एस.	–	3	–	75	2	2	84	–			166
3.	आर.टी.एस. ⁄ एएसओ	–	27	3	3	16	–	–				49
4.	नायब तहसीलदार	–	3	–	28	30	–	183			136	380
5.	सदर मुंसरिम	–	–	–	–	1	–	–				1
6.	निरीक्षक	22	–	8	4	55	3	6				98
7.	आई.एल. आर.	–	–	3	22	–	–	–				25
8.	भूमापक	84	108	63	97	209	25	39	1	81		707
	नवनियुक्त पटवारी	–	–	–	–	–	–	–			565	565
9.	आर.पी.जी पटवारी	–	–	6	82	1	3019	859	465	669	479	5580
10.	ए.सी.पी.	–	–	1	–	–	–	1				2
11.	प्रोगामर	–	–	1	1	–	–	1				3
12.	सूचना सहायक	–	–	–	8	1	–	5				14
13.	प्रारूपकार	–	–	–	–	1	–	–				1
	कुल	106	141	85	328	324	3049	1201	473	750	1180	7637

आर.टी.आई (प्रथम अपील):–

भू–प्रबंध आयुक्त कार्यालय में प्रथम अपील अवधि 01.01.2022 से 31.12.2022 तक कुल 14 अपील प्रकरण प्राप्त हुए हैं जिनका निस्तारण किया जा चुका है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (आर.टी.आई) :–

भू–प्रबंध आयुक्त कार्यालय में दिनांक 01.01.2022 से आज तक सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कुल 192 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें से 188 का यथासमय निस्तारण किया जा चुका है एवं 4 प्रकरण विचाराधीन है। प्रथम अपील संबंधित 10 प्रकरण दर्ज किये गये, जिनका जवाब श्रीमान प्रथम अपील अधिकारी महोदय को भिजवाकर सभी प्रकरणों का निस्तारण करवाया जा चुका है। सूचना का अधिकार के द्वितीय अपील संबंधित 21 केस दर्ज हुए, जिनका जवाब माननीय सूचना आयोग को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधान अनुसार भिजवाया जा चुका है, जिसमें से 11 केस का निस्तारण हो चुका है एवं 10 केस सूचना आयोग में विचाराधीन है।

Digital India Land Record Modernization Programme

भारत सरकार द्वारा सन 1988–89 में संचालित दो योजनाओं क्रमशः भू–अभिलेखों का कम्प्युटरीकरण (Computerization of land records) एवं राजस्व प्रशासन में सुदृढ़ीकरण तथा भू–अभिलेखों का आदिनांकीकरण (Strenthening of revenue administration and updating of land records) योजनाओं को समेकित कर वर्ष 2008–09 में राष्ट्रीय भू–अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (NLRMP) का स्वरूप प्रदान किया गया। तत्समय यह योजना केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित थीं। वर्ष 2016–17 में इस योजना को नवीनीकृत स्वरूप में Digital India Land Record Modernization Programme (DILRMP) प्रोगाम नाम दिया जाकर इस योजना को भारत सरकार द्वारा 1 अप्रेल 2016 से 100 प्रतिशत वित्त पोषित किया जा चुका है। यह एक राष्ट्रीय महत्वाकांक्षी योजना है, जो निम्नांकित 4 सिद्धांतो पर आधारित है।

1. समस्त भू–अभिलेख (रखरखाव एवं आदिनांकीकरण सहित) एकल खिड़की पर हो।
2. नक्शें धरातलीय विशिष्टियों का वास्तविक प्रतिबिंब हो।
3. भू–अभिलेख भू–स्वामित्व का सही चित्रण करता हो।
4. भू–स्वामित्व का सही होना राज्य का आश्वस्ति पर आधारित हो।

डिजिटल इण्डिया लैण्ड रिकॉर्ड मॉर्डनाइजेशन प्रोग्राम (DILRMP) के अन्तर्गत निम्नांकित तीन एजेन्सियों द्वारा कार्य किया जा रहा हैः–

1. राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
2. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राजस्थान, अजमेर।
3. भू–प्रबन्ध विभाग राजस्थान, जयपुर।

एन.आई.सी. (NIC) द्वारा इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग प्रदान किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार की महत्वपूर्ण परिवर्तनात्मक एवं दूरदर्शी पहल Digital India Land Record Modernization Programme (DILRMP) योजना भू–प्रबंध विभाग के माध्यम से निष्पादित की जा रही है। आमजन को प्रत्यक्ष रूप से सकारात्मक लाभ पहुंचाने एवं राजस्व कर्मियों के उपयोग हेतु विभिन्न ऑनलाईन सुविधाएं यथा सॉफ्टवेयर (मोबाईल एप एवं वेब पोर्टल) विकसित करवायी गई हैं। DILRMP योजना अंतर्गत कार्य प्रगति निम्नानुसार हैं :–

1. भू–अभिलेख का कम्प्युटरीकरण :–

भू–अभिलेख के कम्प्युटरीकरण कार्य के अंतर्गत वर्तमान में राज्य के कुल 33 जिलों की समस्त तहसीलों में नक्शों के डिजिटाइजेशन का कार्य संपादित किया जा रहा है। जनवरी 2019 में राज्य की 60 तहसीलों का भू–अभिलेख ऑनलाईन था।

बजट घोषणा वर्ष 2022–23 हेतु 23 नई तहसीलों की घोषणा की गई है, जिनकी अधिसूचना राज्य सरकार के स्तर से जारी की जा चुकी है। अतः वर्तमान में राज्य की कुल अधिसूचित तहसीलों की संख्या 392 है। वर्तमान में राज्य की कुल 392 (369 पुरानी एवं 23 नवसृजित) तहसीलों में से कुल 372 (360 पुरानी एवं 12 नवसृजित) तहसीलों के भू–अभिलेख को आमजन के उपयोग हेतु ऑनलाईन किया जा चुका है। शेष 20 (9 पुरानी एवं 11 नवसृजित) तहसीलों को ऑनलाईन किये जाने की कार्यवाही जिला स्तर पर प्रक्रियाधीन है। वर्तमान में राज्य के कुल 33 जिलों में से 22 जिलों (झुंझुनू, चुरू, जयपुर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, धौलपुर, प्रतापगढ़, अजमेर, झालावाड़, बांसवाड़ा, चितौड़गढ़, पाली, बीकानेर, करौली, कोटा, राजसमंद, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, नागौर, बूंदी, भरतपुर एवं भीलवाड़ा) की समस्त तहसीलों में राजस्व रिकार्ड को ऑनलाईन किया जा चुका है।

2. मॉडर्न रिकॉर्ड रूम :–

राज्य की समस्त तहसीलों में राजस्व रिकॉर्ड को व्यवस्थित रूप से संधारित रखने हेतु आधुनिक अभिलेखागार (मॉडर्न रिकॉर्ड रूम) विकसित किये जा रहें हैं, जिसके अन्तर्गत सिविल कार्य आईटी एवं अन्य आधुनिक उपकरणों की स्थापना तथा पुराने दस्तावेजों की स्कैनिंग से संबंधित कार्य निम्नानुसार कुल 4 चरणों में करवाया जा रहा है–

प्रथम चरण के अन्तर्गत सिविल वर्क, विद्युतीकरण एवं टाईलिंग/पेन्टिंग का कार्य, द्वितीय चरण के अन्तर्गत कॉम्पेक्टर, कैबिनेट, फायर रेटेड डोर, अग्निशामक यंत्र, फर्नीचर एवं एयरकंडीनशर की स्थापना का कार्य, तृतीय चरण के अन्तर्गत कम्प्यूटर, सर्वर, बायोमैट्रिक प्रणाली, प्रिंटर, यूपीएस, टेपड्राइव एवं कार्टरिज की स्थापना एवं चतुर्थ चरण के अन्तर्गत भू–अभिलेखों की इंडेक्सिंग एवं स्कैनिंग का कार्य किया जा रहा है।

वर्तमान में राज्य की कुल 392 (369 पुरानी एवं 23 नवसृजित) तहसीलों में से 253 तहसीलों में तीन चरणों तक तथा 27 तहसीलों में चतुर्थ चरण तक का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, शेष तहसीलों में कार्य जारी है तथा 61 तहसीलों में आधुनिक अभिलेखागार विकसित किये जाने हेतु भारत सरकार को PS&MC की बैठक हेतु प्रस्ताव भिजवाये जा चुके हैं।

3. सर्वे/रिसर्वे :–

डिजिटल इण्डिया लैण्ड रिकॉर्ड मॉर्डनाइजेशन प्रोग्राम (DILRMP) के अन्तर्गत प्रथम चरण में राज्य के 11 जिलों (जयपुर, टोंक, झालावाड़, भीलवाड़ा, जोधपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, बाड़मेर, चुरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर) व अजमेर जिले की 4 तहसीलों (पुष्कर, पीसांगन, नसीराबाद एवं अजमेर) का सर्वे/रिसर्वे कार्य आधुनिकतम सर्वे पद्धति HRSI (High Resolution Satellite Imagery) एवं सर्वे उपकरणों जैसे ETS/DGPS के माध्यम से किया जा रहा है।

उपर्युक्त 11 जिलों व अजमेर जिले की 4 तहसीलों में मौके पर ग्राउण्ड कंट्रोल पॉईन्ट की स्थापना कर उपग्रह से प्राप्त छायाचित्रों की मदद से ऑर्थोरेक्टिफाइड नक्शे तैयार किये जाने के उपरान्त सर्वे–रिसर्वे कार्य प्रगति पर है।

भू–प्रबन्ध विभाग में फील्ड स्टाफ की कमी के कारण सर्वे–रिसर्वे कार्य वर्तमान में राजस्व स्टाफ से कराया जायेगा। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.9(126) राज–6/2012/16 जयपुर दिनांक 12.02.2021 के अनुसार संबंधित उपखण्ड अधिकारी को अतिरिक्त भू–अभिलेख अधिकारी एवं संबंधित तहसीलदार को सहायक भू–प्रबंध अधिकारी नियुक्त किया गया है। सर्वे–रिसर्वे की नवीन गाईडलाइन राज्य सरकार की स्वीकृति से जारी की जा चुकी है तथा तदनुसार कार्य करने हेतु 13 जिलों के राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों तथा भू–प्रबन्ध विभाग के कार्मिकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

द्वितीय चरण में राज्य के शेष 22 जिलों (बीकानेर, जैसलमेर, जालौर, अलवर, भरतपुर, दौसा, सीकर, उदयपुर, प्रतापगढ़, चितौड़गढ़, डूंगरपुर, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, पाली, सिरोही, कोटा, बूंदी, बारां, नागौर एवं अजमेर की शेष 12 तहसील) में सर्वे–रिसर्वे हेतु कार्य आदेश जारी किये जा चुके हैं। वर्तमान में अनुबंधित कार्यकारी संस्थाओं द्वारा ग्राउंड कन्ट्रोल पॉइन्टस की स्थापना कर कार्य किया जा रहा है। इन जिलों के लिए सेटेलाइट इमेजरी को क्रय किये जाने की निविदा जारी कर दी गई है एवं सेटेलाइट इमेज क्रय किये जाने की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है।

4. **<u>उप पंजीयक कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण</u>** :–

डिजिटल इण्डिया लैण्ड रिकॉर्ड मॉर्डनाइजेशन प्रोग्राम (DILRMP) के अन्तर्गत राज्य के कुल 554 उपपंजीयक कार्यालयों में से 552 उपपंजीयक कार्यालयों का कम्प्यूटराइजेशन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त नवसृजित एवं क्रमोन्नत तहसीलों में 60 नवीन उपपंजीयक कार्यालयों का सृजन किया गया है, जिनमें कार्य प्रक्रियाधीन है। दस्तावेज स्केनिंग की प्रक्रिया प्रगति पर है। गत वर्षों के पंजीयन दस्तावेजों को स्कैन करवाया जा रहा है ताकि आमजन को सुगमता से प्रतिलिपियां जारी की जा सके। राजस्व कार्यालयों एवं उप पंजीयक कार्यालयों के मध्य connectivity स्थापित की गई है।

<u>5. स्वतः नामान्तरकरण</u> :–

कृषि भूमि की बेचान के साथ ही पंजीयक विभाग द्वारा संबंधित तहसील को पंजीकृत दस्तावेज ऑनलाइन हस्तांतरित किया जाता है तथा ऐसे प्रत्येक बेचान का स्वतः नामान्तरण प्रारूप–21 में संबंधित तहसीलदार को प्राप्त हो जाता है तथा निर्धारित प्रक्रिया उपरान्त नामान्तरण ऑनलाइन किया जाता है। स्वतः नामान्तरण प्रायोगिक तौर पर जयपुर जिले की चौमूं व दूदू तहसीलों का चयन कर दिनांक 26.04.2019 को आरम्भ किया गया था, जिसके उपरांत दिनांक 15.10.2020 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा ई–लोकार्पण कर जिला जयपुर की अन्य तहसीलों में भी उक्त प्रावधान को प्रारम्भ कर दिया गया है। वर्तमान में राज्य की समस्त ऑनलाइन तहसीलों में स्वतः नामान्तरण प्रकिया को प्रारम्भ कर दिया गया है।

6. कृषि ऋण रहन पोर्टल :–

काश्तकारों को कृषि ऋण सुगमता से उपलब्ध कराने हेतु उक्त पोर्टल को बनाया गया है जिसमें काश्तकार की mortgage application को बैंक के द्वारा अग्रेषित करने एवं म्यूटेशन लगाने से लेकर ऋण मुहैया कराने तक की समस्त कार्यवाही ऑनलाईन ही की जा रही है।

दिनांक 26.06.2019 को राजस्व विभाग द्वारा इस पोर्टल को झुन्झुनू जिले में प्रारम्भ किया गया था। जिला जयपुर की समस्त ऑनलाईन तहसीलों में उक्त पोर्टल को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 15.10.2020 को ई–लोकार्पित किया गया। दिनांक 12.12.2022 तक कुल 86,567 से अधिक आवेदन इस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त हो चुके हैं।

क्र.स.	जिला का नाम	कुल तहसील	कुल नामांतरण	लम्बित नामान्तरणों की स्थिति			कुल निस्तारित
				पटवारी स्तर पर	भू.निरी.अभि. स्तर पर	तहसीलदार स्तर पर	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1.	झुंझुनू	11	45939	312	122	413	44922
2.	जयपुर	21	40628	349	188	183	39731
कुल		**32**	**86567**	**661**	**310**	**596**	**84653**

7. धरा एवं राजस्व अधिकारी मोबाईल एप :–

धरा मोबाईल एप का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्रीजी के द्वारा 19.08.2019 को किया गया था जिससे आम काश्तकार भी अपने भू–स्वामित्व संबंधी जानकारी ऑनलाईन देख सकता है। धरा एप के माध्यम से आमजन ऑनलाईन तहसीलों की भूमि से संबंधित जमाबंदी, खसरा गिरदावरी, पदस्थापित राजस्व अधिकारियों की सूची इत्यांदि मोबाईल के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं।

राजस्व कार्मिकों द्वारा राजस्व कार्यों का संपादन व प्रकरणों के निस्तारण करने यथा ऑनलाईन गिरदावरी करने हेतु राजस्व अधिकारी मोबाईल एप्लीकेशन विकसित की गई है, जिसके माध्यम से प्रान्त की खरीफ, रबी व जायद–रबी फसलों की गिरदावरी ऑनलाईन ही प्रविष्ट की जाती हैं।

8. ऑनलाईन गिरदावरी :–

गत वर्षों की फसल गिरदावरी को उस समय की ऑनलाईन तहसीलों में मोबाईल एप के माध्यम से दर्ज किया गया। हाल ही में खरीफ फसल की गिरदावरी समस्त ऑनलाईन तहसीलों में निर्धारित समय पर की गई। दिनांक 15.10.2020 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सम्वत् 2077 की खरीफ फसल से ऑनलाईन गिरदावरी की प्रक्रिया में तहसीलदार स्तर से ई–साईन का प्रावधान किया गया है, जिसके उपरांत ऑनलाईन माध्यम से आमजन द्वारा निर्धारित शुल्क अदा कर गिरदावरी की प्रमाणित ई–हस्ताक्षरित प्रति प्राप्त की जा रही हैं।

क्र.सं.	फसल गिरदावरी सम्वत	वर्ष	तत्समय कुल ऑनलाईन तहसीलें जिनमें ऑनलाईन गिरदावरी कार्य किया गया
1	खरीफ सम्वत् 2076	2019–20	144
2	रबी सम्वत् 2076	2019–20	184
3	जायद सम्वत् 2076	2019–20	184
4	खरीफ सम्वत 2077	2020–21	240
5	रबी सम्वत् 2077	2020–21	265
6	जायद सम्वत् 2077	2020–21	265
7	खरीफ सम्वत 2078	2021–22	304
8	रबी सम्वत् 2077	2021–22	

9. नामान्तरण प्रति (P-21) :–

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 18.12.2020 को नामान्तरणों की प्रमाणित ई–हस्ताक्षरित प्रति ई–मित्र या ऑनलाईन माध्यम से प्राप्त करने की सुविधा आमजन हेतु ई–लोकार्पित की गई है।

10. जमाबंदी की प्रमाणित प्रति :–

आमजन द्वारा विभिन्न ऑनलाइन माध्यमों से जमाबंदी की ई–हस्ताक्षरित प्रति प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है।

11. ऑनलाईन नामांतरण :–

माननीय राजस्व मंत्री महोदय द्वारा दिनांक 01.01.2020 को ऑनलाईन नामांतरकरण आवेदन प्रस्तुंत करने हेतु apnakhata.raj.nic.in पोर्टल पर विमोचन किया गया। वर्तमान में यह सेवा ई–मित्र के माध्यम से उपलब्ध है।

राजस्थान भू–अभिलेख आधुनिकीकरण सोसायटीः–

ग्रामीण विकास मंत्रालय भू–संसाधन विभाग भारत सरकार नई दिल्ली के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 13014/4/2007–LPD दिनांक 02.08.2011 द्वारा DILRMP के तहत सोसायटी के गठन के संबंध में गाईडलाइन जारी की गई । प्रमुख शासन सचिव राजस्व इसके अध्यक्ष एवं भू–प्रबंध आयुक्त इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। जिसके अन्तर्गत राजस्थान भू–अभिलेख आधुनिकीकरण सोसायटी का गठन दिनांक 02.12.2011 को हुआ है। सोसायटी में निम्नलिखित पद राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत हैं:–

1. कन्सलटेंट – 2
2. प्रोग्रामर – 1
3. लेखाकार – 1
4. सहायक – 1
5. डाटा एन्ट्री ऑपरेटर – 1
6. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी – 1

न्यायालय भू–प्रबन्ध आयुक्त

अपीलों का निस्तारणः–

1. 1 जनवरी 2022 में 33 अपील प्रकरण विचाराधीन थे, जिसमें से दिनांक 31.12.2022 तक 1 अपील प्रकरण का निस्तारण हो चुका है। वर्तमान में 32 अपील प्रकरण शेष है।

रेफरेन्स प्रकरण

1. 01.01.2022 में 45 रेफरेन्स प्रकरण विचाराधीन थे। दिनांक 31.12.2022 तक 1 नये रेफरेन्स प्रकरण दर्ज किया गया। उक्त अवधि में 3 रेफरेन्स प्रकरणों का निस्तारण हुआ है। वर्तमान में कुल 43 रेफरेन्स प्रकरण शेष है।

अनुशासनात्मक कार्यवाहीः–

विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय जांच प्रकरण सीसीए नियम–16 के अन्तर्गत जनवरी 2022 से दिसम्बर 2022 तक 04 प्रकरण विचाराधीन थे, जिनमें से 1 प्रकरण का निस्तारण हो चुका है। वर्तमान में 3 प्रकरण विचाराधीन है।

सीसीए नियम–17 के अन्तर्गत जनवरी 2022 से दिसम्बर 2022 तक 01 प्रकरण दर्ज किया गया, जिसका निस्तारण हो चुका है। वर्तमान में सीसीए नियम–17 का कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

भ्रष्टाचार एवं गंभीर अनियमितता के मामले में वर्तमान में विभाग के 03 कार्मिक निलम्बित चल रहे हैं।

ओल्ड रिकार्ड शाखाः–

विभाग की ओल्ड रिकार्ड शाखा में काश्तकारों द्वारा नकल प्राप्त करने हेतु दिनांक जनवरी 2022 से दिसम्बर 2022 तक कुल 12984 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिनमें से 12587 का किया जा चुका है, 397 आवेदन पत्र शेष हैं।

पदोन्नति की वर्तमान स्थिति वर्ष 2022–23

क्र. सं.	पद का नाम जिसकी विभाग में डीपीसी की जानी है (उच्च पद से निम्न पद)	डीपीसी.आयोजित की जा चुकी है	वर्ष जिनकी डीपीसी लंबित है	विशेष विवरण (लंबित रहने का कारण)
1	प्रशासनिक अधिकारी से संस्थापन अधिकारी	वर्ष 2022–23 में पद स्वीकृत	निल	पात्र कार्मिक उपलब्ध नहीं होने से
2	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी से प्रशासनिक अधिकारी	वर्ष 2022–23 तक	निल	––
3	सहायक प्रशासनिक अधिकारी से अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	वर्ष 2022–23 तक	निल	––
4	वरिष्ठ सहायक से सहायक प्रशासनिक अधिकारी	वर्ष 2022–23 तक	निल	––
5	कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक	वर्ष 2022–23 तक	निल	––
6	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से कनिष्ठ सहायक	वर्ष 2022–23 तक	निल	––
7	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से जमादार	वर्ष 2021–22 तक	वर्ष 2022–23	पदों का पुर्नगठन दिनांक 18.08.2022 को होने के कारण एवं शिथिलन दिनांक 30.11.2022 तक होने के कारण
8	वरिष्ठ निजी सहायक से निजी सचिव	वर्ष 2016–17 तक	वर्ष 2017–18 से 2022–23	पद रिक्त नहीं होने के कारण
9	निजी सहायक से वरिष्ठ निजी सहायक	वर्ष 2019–20 तक	वर्ष 2020–21 से 2022–23	पद रिक्त नहीं होने के कारण
10	शीघ्र लिपिक (स्टेनो) से निजी सहायक	वर्ष 2019–20 तक	वर्ष 2020–21 से 2022–23	पद रिक्त नहीं होने के कारण
11	निरीक्षक से सदर मुंसरिम	वर्ष 2022–23 तक	निल	––
12	भू–मापक से निरीक्षक	वर्ष 2022–23 तक	निल	––
13	कनिष्ठ प्रारूपकार से वरिष्ठ प्रारूपकार	वर्ष 2019–20 तक	वर्ष 2020–21 से 2022–23	पद रिक्त नहीं होने के कारण
14	अनुरेखक से कनिष्ठ प्रारूपकार	वर्ष 2016–17 तक	वर्ष 2017–18 से 2022–23	पात्र कार्मिक नहीं होने तथा कार्मिकों द्वारा निरंतर फारगो के कारण

भू प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर

वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु स्वीकृत/संशोधित बजट प्रावधान व व्यय का विवरण

राशि रूपये लाखों में

क्र.सं.	बजट शीर्ष मय उपमद	स्वीकृत प्रावधान 2022–23	व्यय का विवरण 01.04.2022 से 31.12.2022	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1.	**मांग संख्या–8 2029–भू–राजस्व, 102–सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्य, (01)–प्रधान कार्यालय कर्मचारी वर्ग–प्रतिबद्ध**			
	01–संवेतन	570.00	458.66	
	03–यात्रा व्यय	4.00	1.27	
	04–चिकित्सा व्यय	0.01	0.00	
	05–कार्यालय व्यय (नवीन व्यय)	31.00	13.09	
	06–वाहनों का क्रय	0.01	0.00	
	07–कार्यालय वाहनों का संचालन एवं संधारण	1.20	1.16	
	29–प्रशिक्षण, भ्रमण एवं सम्मेलन व्यय	4.00	0.63	
	32–डिक्रीकर (प्रभृत)	0.01	0.00	
	36–वाहनों का किराया	4.00	0.00	
	37–वर्दियां तथा अन्य सुविधाएं	0.33	0.14	
	39–मुद्रण व्यय	0.01	0.00	
	41–संविदा सेवाएं	7.50	5.98	
	62–कम्प्यूटराईजेशन एवं तत्सम्बन्धी संचार व्यय	1.70	0.00	
	योगः– दत्तमत **प्रभृत्त**	623.76 0.01	480.93 0.01	
2.	**(02) जिला कर्मचारी वर्ग–प्रतिबद्ध**			
	01–संवेतन	2700.00	2317.17	
	02– मजदूरी	16.81	0.00	पटवारियों के प्रशिक्षण हेतु राशि रू 16.56 लाख का अतिरिक्त प्रावधान स्वीकृत
	03– यात्रा व्यय	40.00	30.32	
	04– चिकित्सा व्यय	0.01	0.00	
	05– कार्यालय व्यय	137.67	45.99	पटवारियों के प्रशिक्षण हेतु राशि रू 103.67 लाख का अतिरिक्त प्रावधान स्वीकृत
	09– किराया, रेट और कर/रॉयल्टी	21.70	4.94	पटवारियों के प्रशिक्षण हेतु राशि रू 8.70 लाख का अतिरिक्त प्रावधान स्वीकृत
	36– वाहनों का किराया	40.00	22.53	
	37– वर्दियां तथा अन्य सुविधाएं	0.70	0.42	
	39– मुद्रण व्यय	1.00	0.09	
	41– संविदा व्यय	5.00	0.00	
	62– कम्प्यूटराईजेशन एवं तत्सम्बन्धी संचार व्यय	2.00	1.20	
	योग :– दत्तमत	2964.89	2422.66	वित्त विभाग की आईडी संख्या 162201256 दि. 31.08.2022 के क्रम में राशि रू 128.93 लाख का अतिरिक्त प्रावधान स्वीकृत किया गया है

	स्वीकृत प्रावधान 2022–23	राशि रूपये लाखों में			
	बजट शीर्ष मय उपमद	राज्यनिधि	केन्द्रीय सहायता	योग	1.4.2022 से 31.12.2022 तक व्यय
3.	**2029–भू–राजस्व, 103–भू–अभिलेख, (04)–भू–अभिलेख सुधार योजना (भू प्रबन्ध आयुक्त के माध्यम से) [02]–भू प्रबन्ध विभाग का आधुनिकीकरण (केन्द्र प्रवर्तित योजना)**				
	12– सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)	–	0.01	0.01	–
	18– मशीनरी साज सामान, औजार एवं संयंत्र	0.01	0.01	0.02	–
	40– अनुसंधान, मूल्यांकन एवं सर्वेक्षण व्यय	–	0.01	0.01	–
	62–कम्प्युटराईजेशन एंव तत्सम्बन्धी संचार व्यय	–	0.01	0.01	–
	92–सहायतार्थ अनुदान (संवेतन)	–	0.01	0.01	–
	योगः–	0.01	0.05	0.06	–
4.	**2029 भू–राजस्व 103–भू–अभिलेख, (09)–वैश्विक सूचना प्रणाली प्रयोगशाला (01)–वैश्विक सूचना प्रणाली**				
	18– मशीनरी साज सामान/औजार एवं संयंत्र	50.00	0.01	50.01	–
	40– अनुसंधान, मूल्यांकन एवं सर्वेक्षण व्यय	–	0.01	0.01	–
	62–कम्प्युटराईजेशन एंव तत्सम्बन्धी संचार व्यय	0.01	0.01	0.02	–
	योग :–	50.01	0.03	50.04	–
5.	**मांग संख्या 51 2029 भू–राजस्व 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (01) भू–प्रबन्ध विभाग के माध्यम से [01] भू–प्रबन्ध विभाग का आधुनिकीकरण (केन्द्र प्रवर्तित योजना)**				
	18–मशीनरी साज सामान/औजार एवं संयंत्र	–	0.01	0.01	
	40–अनुसंधान, मूल्यांकन एवं सर्वेक्षण व्यय	–	0.01	0.01	
	62–कम्प्युटराईजेशन एवं तत्सम्बन्धी संचार व्यय	–	0.01	0.01	
	योग :–	–	0.03	0.03	
6.	**मांग संख्या 30 2029 भू–राजस्व 796–जनजाति क्षेत्र उपयोजना (01) भू–प्रबन्ध विभाग के माध्यम से [01] भू–प्रबन्ध विभाग का आधुनिकीकरण (केन्द्र प्रवर्तित योजना)**				
	18–मशीनरी साज सामान, औजार एवं संयंत्र	–	0.01	0.01	
	40–अनुसंधान, मूल्यांकन एवं सर्वेक्षण व्यय	–	0.01	0.01	
	62–कम्प्युटराईजेशन एंव तत्सम्बन्धी संचार व्यय	–	0.01	0.01	
	योग	–	0.03	0.03	

क्र.स.	बजट शीर्ष मय उपमद	स्वीकृत प्रावधान 2022–23	व्यय का विवरण 1.4. 2022 से 31.12.2022 तक	विशेष विवरण	
7.	मांग संख्या 19 बजट शीर्ष 2059– लोक निर्माण कार्य, 80–सामान्य, 053–रख रखाव तथा मरम्मत, 23–भू–प्रबन्ध विभाग. के माध्यम से (प्रतिबद्ध)				
	21– अनुरक्षण एवं मरम्मत	25.00	0.00		
	योग :–	25.00	0.00		
8	मांग संख्या 19 बजट शीर्ष 4059– लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत व्यय 80– सामान्य 051– निर्माण (52)– सामान्य भवन (भू–प्रबन्ध विभाग)				
	17– वृहद् निर्माण (आयोजना)	0.01	0.00		
	योग :–	0.01	0.00		

गत तीन वर्षों के लक्ष्य एवं उपलब्धि का तुलनात्मक स्टेटमेन्ट

क्र. सं.	आईटम	यूनिट	लक्ष्य वर्ष 01.01.18 से 31.12.18	उपलब्धियां 01.01.18 से 31.12.18	लक्ष्य वर्ष 01.01.19 से 31.12.19	उपलब्धियां 01.01.19 से 31.12.19	लक्ष्य वर्ष 01.01.20 से 31.12.20	उपलब्धियां 01.01.20 से 31.12.20	लक्ष्य वर्ष 01.01.21 से 31.12.21	उपलब्धियां 01.01.21 से 31.12.21	लक्ष्य वर्ष 01.01.22 से 31.12.22	उपलब्धियां 01.01.22 से 31.12.22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11
1	सर्वेक्षण	वर्ग किलोमीटर	–	–	लक्ष्य निर्धारित नहीं हैं	–	लक्ष्य निर्धारित नहीं हैं	–	लक्ष्य निर्धारित नहीं हैं	–	लक्ष्य निर्धारित नहीं हैं	–
2	तरमीम सर्वे	वर्ग किलोमीटर	–	2200 ख0न0	–	–	–	–	–	–	–	–
3	रकबा बरारी कार्य	खसरा नम्बर	19335	5535	–	–	–	–	–	–	–	–
4	मिलान क्षैत्रफल सर्वे	खसरा नम्बर	17708	10890	–	–	–	–	–	–	–	–
5	मिलान क्षैत्रफल तरमीम	खसरा नम्बर	3957	4120	–	–	–	–	–	–	–	–
6	अभिलेखन	खसरा नम्बर	18904	27816	–	–	–	–	–	–	–	–
7	भूमि वर्गीकरण कार्य	खसरा नम्बर	30729	32468	–	–	–	–	–	–	–	–
8	तरतीब कार्य	खसरा नम्बर	16518	24819 तथा 5120 खाते	–	–	–	–	–	–	–	–
9	तैयारी पर्चा खतौनी	खसरा नम्बर	11721	29877 तथा 900 खाते	–	–	–	–	–	–	–	–
10	पर्चा खतौनी तस्दीक	खसरा नम्बर	11721	26707 तथा 4637 खाते	–	–	–	–	–	–	–	–
11	तैयारी मिसल बंदोबस्त	नामा0 सं0	32472	52644	–	–	–	–	–	–	–	–
12	ट्रेस तैयारी	खसरा नम्बर	66392	18841	–	–	–	–	–	–	–	–

पारम्परिक पद्वति में उपलब्धियों में कमी के कारण

1. पटवार तरमीम अप्राप्त, राजस्व विभाग की त्रुटियों एवं बदरों का निस्तारण नहीं होना एवं आदिनांक सेग्रीगेटेड राजस्व जमाबन्दी अप्राप्त होना।
2. मतदाता सूची बीएलओ कार्य में स्टाफ कार्यरत होना एवं सीमाज्ञान में राजस्व विभाग को तकनीकी सहयोग में स्टाफ उपलब्ध करवाना।
3. आर.टी.एस. एवं पटवारीगण को प्रशिक्षण में स्टाफ कार्यरत होना।
4. भू मापकों के पद रिक्त होना।
5. डीआईएलआरएमपी अन्तर्गत जिला कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी, तहसील कार्यालयों में एजेन्सी के साथ तरमीम इत्यादि में कार्मिकों का कार्यरत रहना।
6. डीआईएलआरएमपी योजना अन्तर्गत कम्पनियों द्वारा सर्वे/रि–सर्वे कार्य में कार्मिकों का कार्यरत होना।
7. भू प्रबन्ध संक्रियाधीन तहसीलों के यथास्थिति बन्द घोषित होने के कारण।
8. *पारम्परिक पद्वति का कार्य समाप्त प्राय है तथा वर्तमान में DILRMP योजना के अन्तर्गत राज्य के 11 जिलों (जयपुर, टोंक, झांलावाड, भीलवाडा, जोधपुर, बांसवाडा, राजसमन्द, बाडमेंर, चूरू,हनुमानगढ, श्रीगंगानगर एवं अजमेर जिले की चार तहसीलें पुष्कर पीसांगन, अजमेर, नसीराबाद) में सर्वे/रि–सर्वे का कार्य भू प्रबन्ध विभाग द्वारा सम्पादित करवाया जा रहा है।

राजस्थान सरकार

कार्यालय जागीर एवं खुदकाश्त आयुक्त, राजस्थान, जयपुर

प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 01.01.2022 से 31.12.2022

भू–प्रबन्ध आयुक्त पदेन तौर पर जागीर आयुक्त है। इनकी सहायता के लिए अतिरिक्त भू–प्रबन्ध आयुक्त पदेन अतिरिक्त जागीर आयुक्त का पद स्वीकृत है। मुख्यालय पर एक वरिष्ठ लिपिक हैं, एक कनिष्ठ लिपिक व एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत हैं। जिले में जागीर सम्बन्धी कार्य अतिरिक्त जिला कलक्टर (जागीर) देखते हैं एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर अपने स्टाफ से ही जागीर सम्बन्धी कार्य लेते हैं।

जागीर पुनर्ग्रहण सम्बन्धी कार्य का विवरण निम्नानुसार है–

क्रं.सं.	जागीर पुनर्ग्रहण सम्बन्धी कार्य का विवरण	लंबित प्रकरण	निर्णीत	अवशेष
1.	मुआवजे दावे से सम्बन्धित प्रकरण	05	—	05
2.	निजी सम्पत्ति से सम्बन्धित प्रकरण	17	00	17
3.	खुदकाश्त भूमि आवंटन से सम्बन्धित प्रकरण	46	—	46
4.	उत्तराधिकारी नियुक्त केसेज			20
5.	मुआवजे के रूप में भूतपूर्व जागीरदारों को बॉण्डस के पेटे भुगतान करना शेष			रु 19,75,990.19

परिशिष्ट 'अ'

भू–प्रबन्ध विभाग संगठन का ढांचा

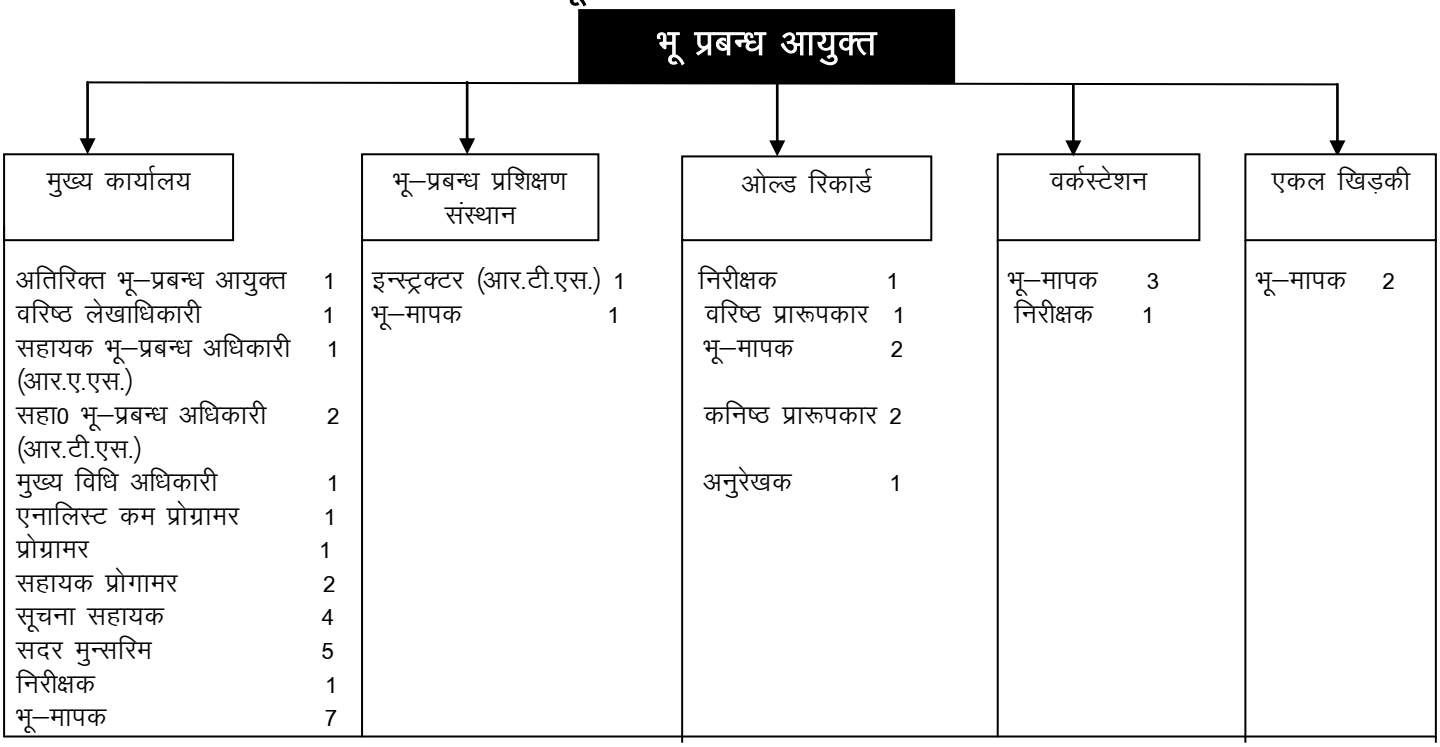

(भू–प्रबन्ध अधिकारी कार्यालयों में स्वीकृत पदों की स्थिति)

क्र.सं.	भू–प्रबन्ध अधिकारी	भू–प्रबन्ध अधिकारी	स.भू.प्र.अ. आर.ए.एस.	स.भू.प्र.अ. आर.टी.एस.	स.मु.	निरीक्षक	भू–मापक
1.	जयपुर	1	2	3	1	25	100
2.	भरतपुर	1	..	4	1	15	60
3.	अजमेर	1	..	3	1	14	60
4.	बीकानेर	1	1	3	1	15	60
5.	अलवर	1	..	4	1	17	62
6.	कोटा	1	..	3	1	15	60
7.	सीकर	1	..	4	1	15	60
8.	जोधपुर	1	1	2	1	15	59
9.	उदयपुर	1	1	2	1	15	60
10.	टोंक	1	..	3	1	15	60
11.	भीलवाडा	1	..	3	1	14	59
	योग	**11**	**5**	**34**	**11**	**175**	**700**

नोटः– राजस्व (ग्रुप–6) विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 द्वारा राजस्थान राजस्व (भू–अभिलेख, भू–प्रबन्ध एवं उपनिवेशन) अधीनस्थ सेवा नियम 2019 दिनांक 21.11.2019 से लागू किये जाने पर इस विभाग में सृजित भू–मापक एवं निरीक्षक के रिक्त पदों को डाईग कैडर घोषित किये जाने के फलस्वरूप इस विभाग में पटवारियों/भू–अभिलेख निरीक्षक के पद सृजित करवाये जा रहे हैं। पटवारियों के रिक्त पदों के इस विभाग में पटवारियों के रिक्त पदों के विरूद्ध पटवार भर्ती परीक्षा 2021 से चयनित अभ्यर्थियों में से राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा इस विभाग को आवंटित अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी किये गये हैं, जिनमें से 565 अभ्यर्थियों ने कार्यग्रहण किया है तथा वेटिंग लिस्ट से विभाग को आवंटित 126 अभ्यार्थियों द्वारा राज्य सरकार के अग्रिम आदेश तक कार्यग्रहण किया जाना शेष है।

सार–संक्षेप (EXECUTIVE SUMMARY)

सर्वेक्षण एवं भू–अभिलेख तैयार करने में भू–प्रबंध विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भू–प्रबन्ध विभाग पारम्परिक पद्धति से सर्वेक्षण एवं अभिलेख कार्य हेतु विशेषज्ञ एजेन्सी के रूप में कार्य करता है। सर्वेक्षण एवं अभिलेखन कार्य के सम्पादन हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956, राजस्थान भू–राजस्व (सर्वे, अभिलेख तथा बन्दोबस्त) (सरकारी) नियम–1957 एवं सुसंगत नियमों में प्रावधान निहित है। भू–प्रबन्ध विभाग तकनीकी कार्य के अन्तर्गत राजस्व एजेन्सी द्वारा जटिल प्रकरणों (सीमाज्ञान) में भू–प्रबन्ध विभाग से तकनीकी सहयोग की मांग किये जाने पर राजस्व एजेन्सी को तकनीकी सहयोग उपलब्ध करा जटिल प्रकरणों का निस्तारण पारम्परिक पद्धति एवं आधुनिक पद्धतियों से कर रहा है।

वर्तमान में विभाग पारम्परिक पद्धति से आधुनिक तकनीक की ओर बढ़ रहा है। इस हेतु DILRMP के तहत भारत सरकार से प्राप्त राशि से आधुनिक तकनीक के माध्यम से राज्य के 13 जिले क्रमशः टोंक. भीलवाड़ा, झालावाड़, बाड़मेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, राजसमन्द, जोधपुर, बासंवाड़ा, अजमेर एवं बीकानेर में सर्वे कार्य करवाया जा रहा है। भू–प्रबन्ध प्रशिक्षण संस्थान में STI के मार्फत ट्रेनिंग दी जाकर कार्मिकों को आधुनिक तकनीक से होने वाली सर्वे पद्धति से दक्ष किया जा रहा है।

DILRMP के आधुनिक पद्धति से किये गये सर्वेक्षण एवं अभिलेखन से आमजन/कृषकों को भू–अभिलेख आदिनांकित होकर एकल खिड़की पर उपलब्ध हो सकेगा। इस पद्धति से किया गया सर्वेक्षण/नक्शें धरातलीय विशिष्टियों का वास्तविक प्रतिबिम्ब होगा एवं भू–अभिलेख भू–स्वामित्व का सही चित्रण करने वाला होगा। DILRMP परियोजना के क्रियान्वयन में यह विभाग Nodal Department का कार्य कर रहा है। मैप डिजिटाइजेशन कार्य राज्य की सभी तहसीलों में किया जा रहा है। अब तक 321 तहसीलों के भू–अभिलेख को आमजन के उपयोग हेतु ऑनलाइन किया जा चुका हैं।